



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी कपिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 1.5 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त कपिल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम अहेड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2013 में वादी के पुत्र की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 08/2013 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कपिल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 1.5 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।



श्री अनिल
खोखर
एडीजीसी
जनपद बागपत



का0 हरदीप
कोर्ट पैरोकार
थाना कोतवाली
बागपत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

Baghat Police

baghatpolice

@baghatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी दुष्यन्त उर्फ मोनू, अलीहसन व ब्रजेश प्रत्येक को हुई 03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-दुष्यन्त उर्फ मोनू पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम अमीनगर थाना बालैनी जनपद बागपत, 2-अलीहसन पुत्र हनीफ व 3-ब्रजेश पुत्र धर्मपाल निवासीगण ग्राम बाखरपुर थाना बालैनी जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 189/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ मोनू, अलीहसन व ब्रजेश प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी अमित को मो0सा0 लूट व आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 08 माह के कारावास व 2,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त अमित पुत्र महीपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 136,139/2000 धारा 392/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2024 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अमित को दोषी पाते हुए 08 माह के कारावास व 2,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी सतीश राणा को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 08 माह के कारावास व 5,00 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2002 में अभियुक्त सतीश राणा पुत्र छोटे निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 179/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2024 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सतीश राणा को दोषी पाते हुए 08 माह के कारावास व 5,00 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला

दिनांक 23.09.2024


ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 253/24 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित गुमशुदा किशोर को सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 253/24 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित गुमशुदा किशोर को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-है०का० 263 मौ०आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत।





प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 631/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई लोहे की सरिया वजन लगभग 175 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बजाज पल्सर UP-17W-4264 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 23.09.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री यशवीर पुत्र श्री बलजोर सिंह निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत हाल पता सुपर वाईजर कृष्णा कन्सलेशन प्राईवेट लिमिटेड नवनिर्माणाधीन बिजरौल बुढाना मार्ग बडौत ने सूचना दी



कि अभियुक्त सद्दाम पुत्र फोजूद्दीन निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा उसके नवनिर्माणाधीन कृष्णा कन्सलेशन प्राईवेट लिमिटेड से लोहे की सरिया वजन लगभग 175 किलोग्राम चोरी कर ली गयी, जिसे उसके तथा जनता द्वारा पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी लोहे की सरिया वजन लगभग 175 किलोग्राम तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बजाज पल्सर UP-17W-4264 बरामद हुई है । थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 631/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सद्वाम पुत्र फोजूद्दीन निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की गयी लोहे की सरिया वजन लगभग 175 किलोग्राम।
- घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० बजाज पल्सर UP-17W-4264

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है०का० 507 पवन कुमार थाना बडौत।
- 2-का० 1013 गौरव यादव थाना बडौत।
- 3-एचजी 227 बलवेन्द्र कुमार थाना बडौत।

